

शासनादेश संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के क्रम में राज्य में,
अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को स्तम्भ-3 में सन्दर्भित शासनादेशानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016=100 के अंक 139 के ऊपर वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को रु 57.60 प्रति अंक की दर से समायोजित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार जुलाई, 2025 से दिसंबर 2025 औसत सूचकांक 148 पर दिनांक 01-04-2026 से परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नवत होगा:-

$$(148-139) \times 57.60 = 518$$

अनुसूचित नियोजनों की तालिका

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	अधिसूचना में उल्लिखित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रु०
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वाणिज्य अधिष्ठानों और उत्तराखण्ड में दुकानों के नियोजन।	286/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
2.	सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन।	287/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
3.	पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन।	288/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
4.	चिकन के कार्य में नियोजन।	-तदैव-	518.00
5.	दियासलाई उद्योग में नियोजन।	-तदैव-	518.00
6.	आइस्कैन्डी/आइस्क्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन।	-तदैव-	518.00
7.	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन।	-तदैव-	518.00
8.	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन।	-तदैव-	518.00
9.	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेंट उत्पादों विनिर्माणशालाओं में नियोजन।	-तदैव-	518.00
10.	लाण्डी या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन।	-तदैव-	518.00
11.	जिल्दसाजी में नियोजन।	-तदैव-	518.00
12.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।	-तदैव-	518.00
13.	पाटरी सिरेमिक्स या रिफ़रैक्ट्रीज में नियोजन।	-तदैव-	518.00

(2)

14.	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी हैं) के उद्योग में नियोजन।	289/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
15.	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पादन के उद्योग में नियोजन।	-तदैव-	518.00
16.	मिष्ठान उद्योग में नियोजन।	-तदैव-	518.00
17.	वासित पेयों (एयररेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन।	-तदैव-	518.00
18.	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन।	-तदैव-	518.00
19.	परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग में नियोजन।	-तदैव-	518.00
20.	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन।	-तदैव-	518.00
21.	डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन।	-तदैव-	518.00
22.	सिले सिलाए कपड़ों की विनिर्माणशाला में नियोजन।	-तदैव-	518.00
23.	बांध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण सिंचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन।	-तदैव-	518.00
24.	प्राइवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राइवेट दुकानों में नियोजन।	-तदैव-	518.00
25.	फाउण्ट्री उद्योगों में नियोजन।	-तदैव-	518.00
26.	धातु उद्योगों में नियोजन।	-तदैव-	518.00
27.	टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग उद्योग में नियोजन।	-तदैव-	518.00
28.	ऐसे अभियंत्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।	-तदैव-	518.00
29.	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं किया गया है।	-तदैव-	518.00
30.	कपड़ा छपाई में नियोजन।	290/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
31.	कलबों में नियोजन।	291/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
32.	निजी मुद्रणालयों में नियोजन।	292/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00

(3)

33.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन।	293/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
34.	उत्तराखण्ड में यान्त्रिक परिवहन कर्मशालाओं में नियोजन।	-तदैव-	518.00
35.	उत्तराखण्ड में ऑटोमोबाइल रिपेयर्स में नियोजन।	-तदैव-	518.00
36.	सिनेमा उद्योग में नियोजन।	294/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
37.	सिलाई उद्योग में नियोजन।	295/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
38.	एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मसियों में नियोजन।	296/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
39.	छोटे मिनियेचर बल्ब एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (चश्मे की शीशे और कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) के नियोजन।	297/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
40.	धर्मशालाओं में नियोजन।	298/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
41.	निजी पुस्तकालयों में नियोजन।	299/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
42.	होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजन।	300/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
43.	प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राइवेट प्राविधिक संस्थाओं में नियोजन।	301/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
44.	चाय बागान में नियोजन।	302/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
45.	हौजरी उद्योग में नियोजन।	303/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
46.	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल (रोलर आटा मिल को छोड़कर) में नियोजन।	304/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
47.	किसी तेल मिल में नियोजन।	-तदैव-	518.00
48.	किसी रोलर आटा मिल में नियोजन।	-तदैव-	518.00
49.	वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है, में नियोजन।	305/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00

(4)

50.	ईट भट्टा उद्योग में नियोजन।	306/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
51.	काष्ठ कार्य और फर्नीचर में नियोजन।	307/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
52.	तम्बाकू निर्माण में नियोजन।	308/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
53.	कालीन बुनाई में नियोजन।	309/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
54.	कपड़े धोने या प्रसाधन के साबुन, सिलिकेट या साबुन के चूर्ण या प्रक्षालक के निर्माण में नियोजन।	310/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00
55.	ऊनी कम्बल बनाने वाले अधिष्ठान में नियोजन।	-तदैव-	518.00
56.	खाण्डसारी में नियोजन।	-तदैव-	518.00
57.	हथकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग में नियोजन।	311/(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, दि० : 15 मार्च 2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या : 460(1)/VIII-1/2026-228(श्रम) 2001, दिनांक 22 अप्रैल, 2026	518.00

यह अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 of 2019) की धारा-69 की उपधारा (2) के अंतर्गत निर्गत की जा रही है। एवं उक्त संहिता की धारा-7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अग्रेत्तर आदेश के जारी होने तक प्रभावी रहेगी।

(प्रकाश चन्द्र दुम्का)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या 1203 /4-01/2024,

दिनांक : 23/4/2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन करना सुनिश्चित करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- अपर श्रम आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 4- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 5- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर, विकास भवन परिसर, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

(प्रकाश चन्द्र दुम्का)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,